

प्रेषक,

संख्या- 686 /15-17-88-631871/86

श्री स्त0स्त0 गोतम,  
संयुक्त तपिष,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
ग्रीन लेण्ड पब्लिक स्कूल,  
दुहाई, माजियाबाद।

शिक्षा अन्तर्भाग-17

लढानकःदिनांक 19 फरवरी, 1988

विषय:- ग्रीन लेण्ड पब्लिक स्कूल, दुहाई, माजियाबाद को अनापीत्त प्रमाण पत्र दिस जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीन लेण्ड पब्लिक स्कूल, दुहाई, माजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापीत्त प्रमाण पत्र दिस जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नीलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन विचार किया जा सकता है। यदि आप उक्त परीक्षा बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापीत्त प्रमाण पत्र के इच्छुक हों तो निम्नीलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को स्वीकार किये जाने के संबंध में अपनी लिखित सहमति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें :-

क॥ सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिपाठ स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आब वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उक्त 10 प्र० माध्यमिक शिक्षा परीक्षाद/बैसिक शिक्षा परीक्षाद द्वारा संपादित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिस जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उपयुक्त का रखा जायेगा।

## ख) विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विधालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विधालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विषय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा, तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अक्षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विधालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रश्नों/पंक्तियों में रखा जायेगा।

5- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापीत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भावदीय,

॥ स्व०स्व० गौतम ॥  
संयुक्त सचिव।